

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौशाद पुत्र श्री यूसुफ निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोवेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौशाद पुत्र श्री यूसुफ, निवासी-मो० लाल दरवाजा, थाना-शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। दिनांक 16.08.2001 को लगभग 08:00 बजे बन्दी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी शबनम पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे अस्पताल में शबनम की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1492/2001 के अन्तर्गत भा०द०वि० की धारा-498ए, 304बी तथा धारा-3/4 दहेज अधि० के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) कक्ष सं०-18 द्वारा दिनांक 03-07-2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31-05-2016 तक 14 वर्ष 09 माह 08 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोवेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 16.08.2001 को दहेज की मांग पूरी न होने पर 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी शबनम पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे अस्पताल में शबनम की मृत्यु हो गयी। बन्दी द्वारा हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 43 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नौशाद पुत्र श्री यूसुफ को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी नौशाद (बन्दी संख्या-14324) पुत्र श्री यूसुफ निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-313/2017/195(1)/22-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नौशाद पुत्र श्री यूसुफ, निवासी-मो0 लाल दरवाजा, थाना-शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। दिनांक 16.08.2001 को लगभग 08:00 बजे बन्दी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी शबनम पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे अस्पताल में शबनम की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1492/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी तथा धारा- 3/4 दहेज अधि0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) कक्ष सं0-18 द्वारा दिनांक 03-07-2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31-05-2016 तक 14 वर्ष 09 माह 08 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 16.08.2001 को दहेज की मांग पूरी न होने पर 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी शबनम पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे अस्पताल में शबनम की मृत्यु हो गयी। बन्दी द्वारा हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 43 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नौशाद पुत्र श्री यूसुफ को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।